

क्रम-संख्या-279 (ड)



रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०-

डब्लू०/एन०पी०/91/2014-16

लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 22 दिसम्बर, 2020

पौष 1, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
राज्य कर अनुभाग-2

संख्या 1404/ग्यारह-2-20-9(47)-17-उ०प्र०अधि०-1-2017-आदेश-(169)-2020

लखनऊ, 22 दिसम्बर, 2020

अधिसूचना

प०आ०-525

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) (जिसे आगे इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा अधिसूचना सं०-429/ग्यारह-2-9(47)-17-उ०प्र०अधि०-1-2017-आदेश-(107)-2020, दिनांक 30 अप्रैल, 2020, के उपबंधों का 1 दिसम्बर, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक के मध्य की अवधि में अनुपालन नहीं करने पर उक्त अधिनियम की धारा 125 के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा संदेय शास्ति की धनराशि का, इस शर्त पर, अधित्यजन करती हैं कि उक्त व्यक्ति, 1 अप्रैल, 2021 से उक्त अधिसूचना के उपबंधों का अनुपालन करेगा।

2-यह अधिसूचना तारीख 29 नवम्बर, 2020 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

आज्ञा से,
आलोक सिन्हा,
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 1404/XI-2-20-9(47)-17-U.P.Act-1-2017-Order-(169)-2020, dated December 22, 2020 :

No. 1404 / XI-2-20-9(47)-17-U.P.Act-1-2017-Order-(169)-2020

Dated Lucknow, December 22, 2020

IN exercise of the powers conferred by section 128 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no. 1 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Governor, on the recommendations of the Council, hereby waives the amount of penalty payable by any registered person under section 125 of the said Act for non-compliance of the provisions of notification no. 429/XI-2-9(47)/17U.P.Act-1-2017-Order-(107)-2020, dated April 30, 2020, between the period from the 01st day of December, 2020 to the 31st day of March, 2021, subject to the condition that the said person complies with the provisions of the said notification from the 01st day of April, 2021.

2. This notification shall come into force with effect from the 29th day of November, 2020.

By order,
ALOK SINHA,
Apar Mukhya Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 621 राजपत्र-2021-(1241)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी० / ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 74 सा० राज्य कर-2021-(1242)-1000 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी० / ऑफसेट)।